

02/04/22

पत्रावली आज वादी मप अधिवक्ता  
 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर तलब  
 की गई। वादी वकील ने प्रार्थना  
 पत्र पेश कर निवेदन किया कि  
 पक्षकारों का राजीनामा हो गया है।  
 अतः वाद चलाने का कोई अर्थ  
 नहीं है, इसलिए प्रार्थना पत्र वास्ते  
 विद्वे कले वाद का पेश कर निवेदन  
 है कि वाद विद्वे किया जावे।

क. वि.  
 राजीनाम  
 की  
 इ. क. वि. क. वि.  
 क. वि. क. वि.

स्थापित है  
 वादी मप अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र  
 स्वीकार किया जाकर वाद नै. काले की  
 कार्यवाही इसी तरह पर समाप्त की  
 जाकर वाद विद्वे किया जाता है। पत्रावली  
 प्रिन्सल बुनाए होना फाविल पर है।  
 से ज्या से मप हो।

सहायक कलक्टर  
 (SBE) चौराहा

